



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2300।

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 1, 2013/आश्विन 9, 1935

No. 2300।

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2013/ASVINA 9, 1935

राजीव विकास गंगालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2013

का.आ. 2970(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 2 के खंड (य) के प्रावधान के परंतुक द्वारा प्रदत्त संकेतों का प्रयोग करते हुए और संबंधित शासीदार याज्ञों की सहमति के अनुपालन में और बोर्ड के परामर्श से केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यथा उल्लिखित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रों के व्यावे के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती हैः—

1. हरियाणा से संबंधित अनुसूची की फ़ास से 2 की विवरान प्राप्ति के म्याज एवं निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएः—

- i. संपूर्ण गुडगांव जिला जिसमें पटोदी, गुडगांव, सोहना, मानोसर और फाल्गुनगढ़ तहसील शामिल हैं;
- ii. संपूर्ण फरीदाबाद जिला जिसमें फरीदाबाद और बल्लभगढ़ तहसील शामिल हैं;
- iii. संपूर्ण रोहतक जिला जिसमें महम, रोहतक और सांपला तहसील शामिल हैं;
- iv. संपूर्ण सोनीपत जिला जिसमें गलौर, सोनीपत, गोहाना और अरझोदा तहसील शामिल हैं;
- v. संपूर्ण पानीपत जिला जिसमें पानीपत, इसराना और समालखा तहसील शामिल हैं;
- vi. संपूर्ण झज्जर जिला जिसमें झज्जर, बहादुरगढ़, वेरी और मेतेनहैल तहसील शामिल हैं;
- vii. संपूर्ण भेवात जिला जिसमें पुनझाना, नह, तोरु और फिरोजपुर द्विरका तहसील शामिल हैं;
- viii. संपूर्ण पलघत जिला जिसमें पलघत, हथीन और होड़ल तहसील शामिल हैं;
- ix. संपूर्ण रेयड़ी जिला जिसमें रावल, रेयड़ी और कोसली तहसील शामिल हैं;
- x. संपूर्ण भिवानी जिला जिसमें भिवानी, धरकी दादरी, सीधान, लोहार, भयानीखेड़ा, तोसम और बदहरा तहसील शामिल हैं;
- xi. संपूर्ण महेन्द्रगढ़ जिला जिसमें महेन्द्रगढ़ और नरनौल तहसील शामिल हैं।

2. राजस्थान राज्य के संबंध में उक्स अनुसूची की क्रम सं. 4 की विरामावधि प्रविधि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए :

- i. संपूर्ण अलवर जिला जिसमें बहरोड, मंडायर, विशनगढ़, तिजारा, अलवर, रामगढ़, बनसर, थानागाजी, राजगढ़, लहरणगढ़ और दाढ़ुकर ज़िलों के शामिल हैं (सही विकास मंचालय की दिनांक 23 अगस्त, 2004 की राजपत्र अधिकाराना सं. के-11019/4/2004 डीडी ५) द्वारा अधिकारित)।
- ii. संपूर्ण भरतपुर जिला जिसमें भरतपुर, कुम्हर, नदण्ड, डीग, ज़ेर, कांगा, पहाड़ी, बयाना, वैर, भुसावर और रथवास शामिल हैं।

[सं. के-11019/9/2013-डीडी VI]

पी.टी. जेम्सकुट्टी, अवर सचिव (डीडी-VI)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2013

S.O.2979(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso of Clause (f) of Section 2 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) and in pursuance of consent of concerned participating States and in consultation with the Board, the Central Government hereby makes the following amendments relating to the description of the areas in the National Capital Region as specified in the Schedule to the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) :—

1. The existing entries at S.No 2 of the Schedule relating to the Haryana are substituted with the following:—
 - i. The whole district of Gurgaon comprising of tehsils of Pataudi, Gurgaon, Sohna, Manesar and Farukhnagar;
 - ii. The whole of district of Faridabad comprising the Tehsils of Faridabad and Ballabhgarh;
 - iii. The whole of district of Rohtak comprising the Tehsils of Meham, Rohtak and Sampla;
 - iv. The whole of district of Sonipat comprising the Tehsils of Ganaur, Sonipat, Gohana and Kharkhoda;
 - v. The whole of district of Panipat comprising the Tehsils of Panipat, Israna and Samalkhu;
 - vi. The whole of district of Jhajjar comprising the Tehsils of Jhajjar, Behadurgarh, Beri and Matenhail;
 - vii. The whole of district of Mewat comprising of the Tehsils of Punahra, Nuh, Taoru and Ferozepur Jhirka;
 - viii. The whole of district of Palwal comprising of the Tehsils of Palwal, Hathin and Hodal;
 - ix. The whole district of Rewari comprising of the Tehsils of Bawali, Rewari and Kosli;
 - x. The whole of district of Bhiwani comprising the Tehsils of Bhiwani, Charkhi Dadri, Siwani, Loharu, Bawali Khera, Tosham and Badhra;
 - xi. The whole of district of Mahendragarh comprising the Tehsils of Mahendragarh and Narnaul.
2. The existing entries at S.No.4 of the said Schedule, in respect of the State of Rajasthan is substituted with the following:
 - i. The whole of the Alwar District comprising of Tehsils of Behror, Mandawar, Kishangarh, Tijara, Alwar, Ramagarh, Bansur, Thanagazi, Rajgarh, Laxmangarh and Kathumar (notified by the Gazette Notification of Ministry of Urban Development No.K-11019/4/2004-DDVI dated 23rd August, 2004).
 - ii. The whole of district of Bharatpur comprising the Tehsils of Bharatpur, Kunihar, Nadbai, Deeg, Nagar, Kaman, Pahari, Bayana, Weir, Bhushawar and Roopwas.

[No. K-11019/9/2013-DD VI]

P.T. JAMESKUTTY, Under Secy. (DD-VI)